

FORM NO.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम


चित्तौड़गढ़ (राज.)

पुष्प गुप्ता

बनाम

सुरेन्द्र

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 290/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23.5.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेफ के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>पुष्प</u></p> <p>पिता श्री <u>नारायण गुप्ता</u></p> <p>निवासी- <u>धोरडिया नं. 01</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>1260,</u> <u>1278/3084, 1279/3086, 1280/3087, 1280/3089</u></p> <p>कुल कीता <u>05</u> कुल रकबा <u>0.8800</u> हे० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>धोरडिया (नगरी)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>1260, 1278/3084, 1279/3086, 1280/3087, 1280/3089</u></p> <p>कुल कीता <u>05</u> रकबा <u>0.88</u> हे० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार मात्र</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>